

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): जबलपुर

P.S. (थाना): पाटन

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0346

Year (वर्ष): 2026

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 02/06/2026 21:51 बजे

2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम)

Sections (धारा(एँ))

1 भा द सं 1860

420

2 भा द सं 1860

467

3 भा द सं 1860

34

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन):

Date From (दिनांक से):

Date To (दिनांक तक):

दरमियानी दिन

01/07/2023

24/08/2023

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से):

Time To (समय तक):

00:00 बजे

00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 02/06/2026

Time (समय): 21:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 043

Date & Time (दिनांक और समय): 02/06/2026 21:47

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Oral

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 05 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): आरोपी सदीप दुबे का घर, ग्राम उड़ना सड़क, पाटन

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.(थाना का नाम):

District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): रवि कुमार आम्रवंशी

(b) Father's Name (पिता का नाम):

गोकुल प्रसाद आम्रवंशी

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1974

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)

Id Number (पहचान संख्या)

1

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	12/5, जेबीए कालोनी, कटंगा नर्मदा रोड, जबलपुर, गोरखपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	12/5, जेबीए कालोनी, कटंगा नर्मदा रोड, जबलपुर, गोरखपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9993694209

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फॉर्म -I)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	सचिन दुबे/SACHIN DUBEY			1. जबलपुर, पाटन, जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत
2	रंजना पाण्डे/RANJNA PANDEY			1. जबलपुर, पाटन, जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत
3	संदीप दुबे/SANDEEP DUBEY			1. उड़ना सड़क, पाटन, पाटन, जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत
4	अंशुल बर्मन/ANSHUL BARMAN			1. जबलपुर, पाटन, जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत
5	नेहा पाण्डे/NEHA PANDEY			1. जबलपुर, पाटन, जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत
6	उमा सिंह/UMA SINGH			1. जबलपुर, पाटन, जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत
7	मनीष चौरसिया/MANISH CHAURASIYA			1. जबलपुर, पाटन, जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत
8	कमलेश साहू/KAMLESH SAHU			1. जबलपुर, पाटन, जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत
9	नीलेश विश्वकर्मा/NEELES			1. जबलपुर, पाटन, जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत

H
VISHWAKARMA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मैं थाना पाटन में कार्यवाहक प्र.आर. के पद पर पदस्थ हूँ। आज दिनांक 02.06.2026 को प्रार्थी रविकुमार आम्रवंशी(सहायक संचालक कृषि, कार्यालय उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जबलपुर) पिता श्री गोकुल प्रसाद आम्रवंशी उम्र 52 साल निवासी 12/5 जेबीए कालोनी कटंगी नर्मदा रोड जबलपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र श्री राजेन्द्र सिंह(राजेश सिंह ठाकुर) जिला अध्यक्ष किसान मजदूर महासंघ जबलपुर के द्वारा बेगमगंज सीड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी के विरुद्ध की गयी शिकायत जाँच प्रतिवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज किये जाने वावत् आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके अवलोकन पर प्रथम दृष्टया आरोपी 1. सचिन दुबे 2. रंजना पांडे, 3. संदीप दुबे निवासी ग्राम उड़ना थाना पाटन जिला जबलपुर, 4. अंशुल बर्मन, 5. नेहा पांडे, 6. उमा सिंह, 7. मनीष चौरसिया, 8. कमलेश साहू, 9. नीलेश विश्वकर्मा द्वारा अपराध धारा 318(4), 338, 3(5) वीएनएस का घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया नकल आवेदन पत्र जेल है- कार्यालय उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकासकलेक्ट्रेट परिसर, जबलपुर OFFICE OF DY. DIRECTOR FARMER WELFARE AGRICULTURE DEVELOPMENT Collectorate Parisar, JABALPUR 0761-2624359, E-MAIL: agrijab@mp.nic.in, ddaagriculturejbp@dataone.in क्रमांक/उपार्जन/2026-27/ जबलपुर दिनांक- प्रति, थाना प्रभारी पाटन जिला जबलपुर विषय:- श्री राजेन्द्र सिंह (राजेश सिंह) ठाकुर जिलाध्यक्ष किसान मजदूर महासंघ जबलपुर के द्वारा बेगमगंज सीड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी के विरुद्ध की गई शिकायत के जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्री संदीप दुबे एवं अन्य 05 डायरेक्टर एवं मनीष चौरसिया एवं 02 अन्य कर्मचारियों पर एफ. आई. आर. दर् किए जाने वावत् | संदर्भ:- कलेक्टर जबलपुर का आदेश क्रमांक / 214/खरीफ/25-26/खाध्य/एफ-को/2026 जबलपुर दिनांक 19-02- 2026 | विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित आदेश द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह (राजेश सिंह) ठाकुर जिलाध्यक्ष किसान मजदूर महासंघ जबलपुर के द्वारा बेगमगंज सीड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच के संवध में संदर्भित आदेश द्वारा जांच दल गठित किया गया था | उक्त जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर बेगमगंज सीड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टरों द्वारा दिनांक 20/02/2023 को प्रवधक मनीष चौरसिया कंप्यूटर ऑपरेटर नीलेश विश्वकर्मा और लेखा युक्त कमलेश साहू का आदेश बिना दिनांक का संचालक के हस्ताक्षर से जारी किया गया इसी प्रकार दिनांक 01/12/2022 को मनीष चौरसिया कंप्यूटर ऑपरेटर नीलेश विश्वकर्मा और लेखा युक्त कमलेश साहू का आदेश 28/02/2023 को संचालक के द्वारा जारी किया गया | दोनों आदेशों में जांच के दौरान पाया कि नियुक्ति से संबधित प्रस्ताव/निर्णय का कोई भी दस्तावेज नहीं पाया गया | दोनों नियुक्ति आदेश में पृथक-पृथक संचालक के हस्ताक्षर पाए गए | उक्त दस्तावेज कूट रचित तरीके से तैयार करना पाए गए | इसी प्रकार उपार्जन कार्य के लिए दैनिक व्ययों के लिए 50 लाख की राशि बैंक खाते में होने अथवा उक्त राशि की क्रेडिट लिमिट होने के प्रावधान है | बेगमगंज सीड

प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी के द्वारा राशि की उपलब्धता के संबंध में प्रस्तुत बैंक खाता नं 734505500175 बैंक का नाम आई सी आई सी आई उल्लेखित है। जिसके सत्यापन में यह पाया कि उक्त खाता नं. वेगमगंज सीड प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी का नहीं है। इसी प्रकार जांच प्रतिवेदन के बिन्दु क्रमांक 04 में वेगमगंज कंपनी के द्वारा सूची लगाई गई है सूची में किसानों के नाम के सामने पता उपलब्ध नहीं है साथ ही किसानों के द्वारा कितने शेयर जमा किए गए उल्लेख नहीं है। दर्शित सूची में नाम किस जिले के, किस तहसील के, किस ग्राम के है उल्लेख नहीं है। कंपनी द्वारा किसानों की लगाई सूची में दिए गए मोबाईल नंबरों में दिनांक 07/04/2026 को जांच दल के सदस्यों द्वारा विभिन्न मोबाईल नंबरों में संपर्क किया गया लेकिन संपर्क करने में बताया गया कि वेगमगंज कंपनी के सदस्य नहीं हैं न ही इस बारे में कुछ जानते हैं। अतः स्पष्ट है कि लगाई गई सूची कूटरचित है। प्रतिवेदन के बिन्दु क्रमांक 08 में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपरण संघ मर्यादित जिला जबलपुर का पत्र क्रमांक/उपार्जन/लेखा/40/2026 जबलपुर दिनांक 20/04/2026 को पत्र में वेगमगंज सीड प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी को भुगतान की गई राशि प्रासंगिक व्यय एवं हैन्डलिंग एवं कमीशन पत्रक अनुसार भुगतान विवरण 01 से 04 तक में कुल योग 39,67,781/- (अंकन उनतालीस लाख सड़सठ हजार सात सौ इक्यासी रुपए) राशि संदीप दुबे नवासी ग्राम उडना थाना पाटन जिला जबलपुर ने अपने साथी डायरेक्टर एवं कम्पनी में कार्यरत कर्मचारियों के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी पूर्वक उक्त राशि अर्जित की गई जिसमें शासन को आर्थिक क्षति कारित हुई। अतः प्रकरण में वेगमगंज सीड प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी के सभी 06 डायरेक्टर क्रमशः 1. सचिन दुबे 2. रंजना पांडे 3. संदीप दुबे निवासी ग्राम उडना थाना पाटन जिला जबलपुर 4. अंशुल बर्मन 5. नेहा पांडे 6. उमा सिंह एवं कंपनी में कार्यरत कर्मचारी 1. मनीष चौरसिया 2. कमलेश साहू 3. नीलेश विश्वकर्मा के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कराना चाहेंगे। एफ आई आर दर्ज किए जाने हेतु श्री रवि कुमार आम्रवंशी, सहायक संचालक कृषि, कार्यालय उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जबलपुर को अधिकृत किया जाता है। संलग्न:- जांच प्रतिवेदन की मूल प्रति 01 से 08 एवं जांच संबंधी अभिलेखों की छायाप्रति 01 से 78. कलेक्टर जबलपुर द्वारा अनुमोदित। उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जबलपुर Page..1 पृ. क्रमांक/उपार्जन/2026-27/ जबलपुर दिनांक-प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-1. आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर | 2. कलेक्टर जबलपुर | 3. पुलिस अधीक्षक जबलपुर | 4. संयुक्त कलेक्टर जबलपुर | 5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाटन | 6. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण जबलपुर | 7. लीड बैंक मैनेजर जबलपुर | 8. उपायुक्त सहकारिता जबलपुर | 9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. जबलपुर | 10. जिला विवरण अधिकारी जबलपुर | 11. श्री रवि कुमार आम्रवंशी, सहायक संचालक कृषि, कार्यालय उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जबलपुर की ओर पालनार्थ। उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जबलपुर। हस्ताक्षर अंग्रेजी में अस्पष्ट उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जबलपुर

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है।) or (या)

- (1) Registered the case and took up the investigation: GOPINDRA SINGH RAJPUT(I
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): (Inspector)) /

- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):

No.(सं.):

Rank (पद):

to take up the Investigation

(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

- (4) Transferred to P.S.(थाना):

District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ. ए. सी.)

थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

RA 2.6.26

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम): RAMMILAN RAJAK

Rank (पद): प्रधान आरक्षक-कार्यवाहक